

(☎ 022-22862703) ई-मेल/e-mail-<u>irw@dae.gov.in</u> फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai - 400001

सं.No. 7/14/2015/आईआरएंडडब्ल्य्/IR&W/\\02\

अगस्त August 18,2017

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : परमाणु ऊर्जा विभाग और इसकी संघटक इकाईयों में सेवा प्रदान करने के बाद

सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में आमेलित

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीएचएसएस सुविधाएं विस्तारित करना।

Subject: Extension of CHSS facilities to retirees absorbed in Government Departments/Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings after serving

DAE & its constituent Units.

पऊवि के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग या इसकी संघटक इकाईयों में 5 वर्षों से अधिक सेवा प्रदान करने के बाद केन्द्र सरकार के अन्य विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यभार ग्रहण किया है, को सीएचएसएस के लाभों को विस्तारित करने के लिए विभाग में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों पर विभाग में विचार किया गया है तथा सीएचएसएस नियमावली के तहत निम्नलिखित को जोड़ने का निर्णय लिया गया है:

Requests have been received in the Department for extension of CHSS benefits to DAE employees who had moved to other Central Government Departments/Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings after serving DAE or its constituent Units for more than 5 years. The requests have been considered in the Department and it has been decided to add the following under the CHSS Rules:

नियम संख्या Rule no. 2.1.10(iii)(a):

परमाणु ऊर्जा विभाग के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग या इसकी संघटक इकाईयों में 5 वर्षों से अधिक सेवा प्रदान करने के बाद केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में कार्यभार ग्रहण किया है, वे संबंधित विभागों से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सीएचएसएस के तहत अंशदान की सामान्य दर पर आजीवन (लाइफटाइम) पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।

DAE employees who joined other Central Government Departments after serving DAE or its constituent Units for more than 5 years will be eligible for lifetime registration under CHSS at the normal rate of contribution after their retirement from the respective Departments.

नियम संख्या Rule no. 2.1.10(iii)(b):

परमाणु ऊर्जा विभाग के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने 20 वर्ष से अधिक अर्हक सेवा परमाणु ऊर्जा विभाग या उसकी संघटक इकाईयों में प्रदान करने के बाद केन्द्र सरकार के अन्य स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यभार ग्रहण किया है, वे संबंधित स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद नीचे दर्शाए गए अनुसार विभाग में अपनी अर्हक सेवा के अनुसार बढ़े हुए अंशदान का भुगतान करने पर सीएचएसएस के तहत आजीवन (लाइफटाइम) पंजीकरण के लिए पात्र होंगे :

DAE employees who joined other Central Government Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings after serving DAE or its constituent Units for more than 20 years of qualifying service will be eligible for lifetime registration under CHSS after their retirement from the respective Autonomous Body/Public Sector Undertaking, on payment of enhanced contribution as per their qualifying service in the Department as indicated below:

क्र.सं.	अर्हक सेवा	अंशदान की दर
Sl. No.	Qualifying service	Rate of contribution
1.	30 वर्ष तथा उससे अधिक	अंशदान की सामान्य दर
	30 years and above	Normal rate of contribution
2.	25 वर्ष तथा उससे अधिक किंतु 30 वर्ष	अंशदान की सामान्य दर का दो
	से कम	गुणा
	25 years and above but less than 30 years	Twice the normal rate of contribution
3.	20 वर्ष तथा उससे अधिक किंतु 25 वर्ष	अंशदान की सामान्य दर का तीन
	से कम	गुणा
	20 years and above but less than 25	Thrice the normal rate of
	years	contribution

2. उपर्युक्त नियम संख्या 2.1.10(iii)(ए) और (बी) के लिए, देय अंशदान संबंधित केन्द्र सरकार के विभाग/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन के संदर्भ में होगा। इसके अतिरिक्त, सीएचएसएस में प्रवेश, पेंशनभोगी द्वारा पहले से आहरित निश्चित चिकित्सा भत्ता, यदि कोई है, के नियमन के अधीन होगा।

For Rule no. 2.1.10(iii)(a) and (b) above, the contribution payable shall be with reference to the pay drawn by the employee at the time of retirement from the respective Central Government Department/Autonomous Body/Public Sector Undertakings. Admission to CHSS will be further subject to regularisation of fixed Medical Allowance already drawn by the Pensioner, if any.

3. इसे दिनांक 09/08/2017 के नोट संख्या जेएस(एफ)/पऊवि/IV/5/20/95 द्वारा प्रेषित सदस्य (वित्त), परमाणु ऊर्जा आयोग की सहमति से जारी किया जाता है।

This issues with the concurrence of M(F), AEC conveyed vide Note No. JS(F)/DAE/IV/5/20/95 dated 09/08/2017.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities:

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कल्पाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कल्पाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) म्ख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदराबाद Director, AMD, Hyderabad
- (9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCAT, Indore
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC, Kolkata
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL, Mumbai
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी, मुंबई Head, Medical Division, BARC, Mumbai
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to:

- (1) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
- (2) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय 0/o Chairman, AEC & Secretary, DAE
- (3) संयुक्त सचिव (एएंडए), पऊवि के प्रधान निजी सचिव PPS to Joint Secretary (A&A), DAE
- (4) निदेशक, आईएमएससी, चेन्नई Director, I.M.Sc., Chennai
- (5) अवर सचिव (प्रशासन), पऊवि US(Adm), DAE
- (6) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (७) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE